न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 60/2016 75 एलआरएक्ट

देवीलाल पत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

–अपीलांटस

बनाम

1. हरीराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नंदराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.04.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 33/2013 बउनवानी हरीराम पुत्र देवीलाल आदि

उपस्थित :–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–08.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष एक प्रार्थना–अन्तर्गत धारा 251 (ए) के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थना–पत्र में वर्णित अपनी भूमि में जाने के लिए गैर खातेदार सं0 1 के खेत पत्थर नं0 380/41 (235) के किला नं. 21, 22, 23 के दक्षिणी साईड से पश्चिम से पूर्व व पत्थर नं. 379/411 (236) के किला नं. 25, 24 के दक्षिणी साईड पूर्व से पश्चिक एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दराने काने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2016 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को उसकी भूमि बंटवारा करके प्राप्त हुई है जो अन्य भाईयों से कम है तथा अपीलाण्ट की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है न ही स्वीकृत रास्ते से कभी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 कभी भी आवागमन किया है। चक 7 बारानी में से रास्ता स्वीकृत किया गया है बदले की भूमि किला नं. 23 में से दी जानी दर्ज है किला नं. 23 के चक नं.बर व मुरब्बा व पत्थर नंबर दर्ज नहीं किये गये हैं। रास्ता मुरब्बा लाई के दक्षिण–पश्चिम में स्वीकार किया जा सकता है जबकि रास्ता मुरब्बा लाईन के उत्तर की और स्वीकार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट कतई मोके पर जाकर नहीं बनाई है और न ही वादग्रस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

कोर्ट में विचाराधीन है इसका कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। इन्होनें सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रश की। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016—17 पेज 597, आरएलडब्ल्यू (3) 2004 पेज 2007, आरआरटी 2018 (1) पेज 574 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय सही है। अपीलाण्ट को रास्ता में आई भूमि के बदले में भूमि दी गई है। खातेदार काश्तकार की आवश्यकता अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में जाने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। सिलिव कोर्ट में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिससे जबरदस्ती रास्ता नहीं निकालने का आदेश था किन्तु रास्ता 251 (ए) के तहत न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर बनाया गया है। सिविल कोर्ट में प्रकरण निर्णित हो गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट का कथन है कि उसको अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलाण्ट का कथन है कि उसकी भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है। अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली में भूभिलेख निरीक्षक रामगढ तहसील नोहर की रिपोर्ट उपतहसीलदार, रामगढ़ द्वारा अपने द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर को अग्रेषित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रकबा का दोनों भाईयों के बीच खाता तकसीम हुआ था। उस समय रास्ता दर्शाया नहीं गया था। हरिराम को अपने खेत में जाने के लिए दिक्कत है। इस रिपोर्ट में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह कथन स्वीकार्य नही है कि रास्ते के लिए कोई मौका रिपोर्ट नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नही होने के कारण रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ते में आई भूमि के बदले में अपीलाण्ट को भूमि के चिपते हुए किला नं. 23 जो अपीलाण्ट के चिपते हैं में पांच बिस्वाभूमि दिये जाने का आदेश दिया है। इससे अपीलाण्ट को रास्ते में आई भूमि के नुकसान की भरपाई हो जाती है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं0 2 नोहर जिला हनुमानगढ के दीवानी अपील संख्या 94/2016

Web Copy - Not Official

देवीलाल बनाम हरीराम के निर्णय की छाया प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। मुताबिक छाया प्रति निर्णय प्रश्नगत भूमि में जबरन रास्ता नहीं निकालने का आदेश दिया गया है साथ ही माननीय सिविल न्यायालय द्वारा रास्ता के संदर्भ में "राजस्व न्यायालय को पक्षकारान के आवेदन पर विधि अनुसार निर्णय करने की स्वतंत्रता रहेगी" यह अंकित किया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय हेतु स्वतंत्रता दी है। उपरोक्त विवरण अनुसार रास्ता आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखे अपीलार्थ द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई ऐसा आधार नहीं पाया जाता है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई दखल किया जा सके। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थ खारिज की जाती है उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2016 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/2/19

मूल चन्द (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official